फर्द अहकाम

यालय

या उमेशचन्द्र गर्ग बनाम बन्दी कम्प0

62/2022 जिलाधिकारी जगदीशपुर रामपुर

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
03/02/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित पत्रावली आदेश हेतु विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील वादी को सुना गया सुनवाई किया गया। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0सं0 काश्तकारी अधि0 में स्वीकार किया जाकर विहित निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसिल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली कोरम शुमार होकर नम्बर से कम के बाद बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
2/2022

तारीख दायर
28/03/2022

तारीख फैसला
03/02/2025

1. चन्दा पुत्र शंकर
2. रामफूल पुत्र शंकर
3. मोहनलाल पुत्र शंकर
4. कैलाश पुत्र नारायण
5. जगदीश पुत्र नारायण

समस्त जाति माली निवासी ग्राम जमवारामगढ, मालियों की ढाणी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. बद्री पुत्र हरकब्स
2. नैन्छीराम पुत्र भैरू
3. बद्रीनारायण पुत्र जमनलाल
4. चन्दालाल पुत्र सोहनलाल

समस्त जाति माली निवासी ग्राम जमवारामगढ, मालियों की ढाणी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।

5. राज्य सरकार जरिये तहसीदार, जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री किशनलाल :- वकील वादीगण।

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

-: निर्णय :-

वादीगण की ओर से एड0 श्री किशनलाल ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 95 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 1.2200है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2300है0 स्थित ग्राम जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित हैं जो कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज स्थित है जिस पर वादीगण कब्जा काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगणों का कोई संबंध सरोकार नही है जिसके बावजूद भी प्रतिवादीगण जबरन वादीगण के कब्जे काश्त की भूमियों पर कब्जा करने उतारू है और वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकिया देते है तथा पूर्व मे दिनांक 02.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में एक प्रार्थना प. सं0 42/2021 पेश कर व फर्जी समझौता पत्र के आधार पर वादीगण की भूमि मे से रास्ता निकालने पर आमादा है तथा वादीगण को वादीगण के कब्जे से बेदखल करने पर आमादा है इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण वादीगण को काश्त करने में दखल उत्पन्न करते है और वादीगण के विधिक अधिकारो के उपयोग उपभोग में रोक टोक करते है तथा जबरन बिना किसी अधिकार के वादीगण की कब्जाशुदा भूमि में कब्जा करने पर आमादा है तथा जबरन रास्ता निकालने पर आमादा है तथा वादीगण को भूमि से बेदखल करने की कोशिश करते है तथा वादीगण के उपयोग उपभोग व कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते है जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नही है और इसी आशय से दिनांक 01.03.2022 का प्रतिवादीगण मौके पर आये तथा आते ही वादीगण की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हो गये तथा वादीगण की भूमि पर जबरन रास्ता निकालने के उदश्य से निर्माण सामग्री डालने लगे गये तथा वादीगण को एलानिया धमकीया देना शुरू कर दिया कि आज तुम्हारी उक्त भूमि पर कब्जा करके रास्ता निकालेगे और तुम्हे बेदखल करके रहेगे व तुम्हे तुम्हारी भूमि पर काश्त भी नही करने देगे इसलिये वादीगण को अपनी भूमि की सुरक्षार्थ यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। अतः वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 95 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 96 रकबा 1.2200है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2300है0 ग्राम जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर मे किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही करे, किसी प्रकार का अतिकमण नही करें, वादीगण के उपयोग उपभोग व कब्जे व कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न नही करें, वादीगण की भूमि में से किसी प्रकार का कच्चा पक्का रास्ता नही निकाले, रिकार्ड में किसी प्रकार से रास्ता नही काटे, वादीगण को वादीगण के कब्जे से बेदखल नही करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई।

अतः वकील वादी की बहस का मनन करने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाकै ग्राम जमवारामगढ, पटवार हल्का जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 95 रकबा 0.0100है0 व खसरा नम्बर 96 रकबा 1.2200है0 में प्रतिवादीगण में किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही करे, किसी प्रकार का अतिकमण नही करें, वादीगण के उपयोग उपभोग व कब्जे व कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न नही करें, वादीगण की भूमि में से किसी प्रकार का कच्चा पक्का रास्ता नही निकाले, वादीगण के कब्जे से बेदखल नही करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 03/02/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर